भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1657

दिनांक 21 दिसंबर, 2022 (30 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

न्यायिक प्रयोगशालाओं में रिक्तियां

1657. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की न्यायिक प्रयोगशालाओं में रिक्त पदों की संख्या चिंताजनक स्तर तक बहुत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो केंद्रीय न्यायिक प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) और विभिन्न राज्यों में शेष न्यायिक प्रयोगशालाओं में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; **और**

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में रिक्तियों से संबंधित आंकड़े केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत सात केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 150 रिक्तियां हैं।

(ग) और (घ): रिक्त पदों को भरने का कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में रिक्ति की स्थिति की समीक्षा की है और कार्य बिंदुओं की पहचान की है, जिनमें पदों को भरना और भर्ती नियमों को सुव्यवस्थित करना शामिल है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, अपेक्षित वैज्ञानिक जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में संविदा के आधार पर फॉरेंसिक विश्लेषकों को नियोजित किया गया है। भारत सरकार ने फॉरेंसिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना की है। राष्ट्रीय न्यायालियक विज्ञान विश्वविद्यालय, उपयुक्त उम्मीदवारों की

पहचान करने के लिए वार्षिक आधार पर फॉरेंसिक एप्टीट्यूड और कैलिबर टेस्ट (एफएसीटी) भी आयोजित करता है, जिन्हें फिर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने रिक्तियों को भरने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परामर्श भी जारी किया है।

(ङ) : भाग (ग) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागु नहीं होता।

*****